

St-5 34 xe(6/14-9 *** विषयः — द्वा के 6764/15 के क्रिनायदाय का विभाग राममंद्र , राजार विश्वासर 1 to wie 213(4 Krisms / 376450 यानित वार्मातम क्रीलाम के प्रकारी Zitalated logas Am, win smilet अत्मारमार्थ (शाखा–3), र_{हरू न} भो**रा**ज





छ**न्**रिस-२ सचिवालय

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 4 - 3 - 16

कमांक / डी - जी 34/16/14-3/आदेश//

सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम-2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी-6764/2015 मेसर्स श्रीनाथ दास राम चंदर प्रो0 श्रीनाथ दास राममंडी पचोर जिला राजगढ़ विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय. मोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, मे मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए निय्क्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधार्यों कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जॉच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवयता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

समस्त सुसँगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।

- वाद पत्र / याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- 5 शासकीय अधिवयता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
- 7. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :--
 - (क) बाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है, और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(घ) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।

 मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रकम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना। जब भी कोई आदेश / निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना।

10. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।

11, यह देखना है कि आवेदन करने में ताकि प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय

प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

12. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।

13. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बावत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित / छपी हुई नहीं रह जाये।

14. प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति

अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

15. प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ(सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(अवर ऋचिंव)

विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल भोपाल दिनांक 4.3 /

अन्द्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि
विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
कगांक / कि - 5 34/8 (6/14-3)
भोपाल दिनांक 4-3 प्रतिलिपि:-

महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर ।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

3. प्रबन्ध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

संबंधित जिलाध्यक्ष,राजगढ मध्यप्रदेश।

 संयुक्त संचालक / उपसंचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आचलिक कार्यालय-भोपाल (म.प्र.) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रमृति रिपोर्ट के साध उसे उनके विभागाध्यक्ष को सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे। मामले की सुनवाई तारीख हेत नियत की गई है।

> M नध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

BY, PEOD. 7 🐪 POST

THE High Court of Judicators at Jabely and Bench at Indore

34.000

WP/6763/7955

they by Registrar, High Court of Judicature at Income Against Adminial 117 R/N for 27-01-2016 WP-DA-1 Respondent No. 2

M.1 i niya Krishi Vipanan Board. The star I brough Managing Director. 2s. vista Hils, Kisan Bhawan, Bhopal, Districts Bhopal (MADHYA PRADESH).

Indore 04-01-2016

No. c. 19 Respondent No. 2 in writ Petition Mandamus/Probletion 3 ortiorari/Quo Warranto) No. W 19 67 € 112/45.

63716

Madair.

I am directed to inform you that one MS Shreemath Das Rum Chandar Through Shreem to thes Mod a perimon under Article 226 of the Constitution of India Clopy enclosed) in this Court and the test is revised as Writ Petition (Mandantus/Frobbition/ Certion & Quo Warranto) No. WP/6764/2015

Table is since that you are required to submit a retorn personally or through a duly engaged Advocate and afford a 1-01-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparts.

1

ol of the Court)
A: Copy of Petition

Your's faithfully

UTY REGISTRAR

6875

6/3

BEFORE THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYAPRADESH BENCH AT INDORE

Writ petition No. 6 764 /2015

M/s Shreenath Das Ram Chandar
Through Proprietor Shreenath Das Petitioner

V/S

State of M.P. & Others Respondents

INDEX

| S | r. No. Particulars of Documents | Апнехиге | Page No. |
|-----|------------------------------------|----------|----------|
| 1. | Writ Petition U/A | | |
| | 226 Constitution of India | | |
| 2 | Declaration | | 6 |
| 3. | Affidavit | | 7 |
| 4. | Chronological List of Events | | 8 |
| 5. | List of Documents | | 9 |
| 6. | Copy of the Notice | P-1 | 10 |
| 7. | Copy of the License | P-2 | 11 |
| 8. | Copy of the account | | |
| | Statement | P-3 | 12 |
| 9. | Copy of the resolution | P-4 | 13-14 |
| 10. | Copy of the request for permission | P-5 | 15-17 |
| и. | Copy of the request from trader | | |
| | Representative | P-6 | 18-21 |
| 12. | Copy of the resolution | | |
| | of Mandi samiti | P-7 | 22-23 |
| 13. | Copy of the requesting letter | | |
| | from Mandi samiti to Collector | P-8 | 24 |
| 14 | Copy of the trader representative | | |
| | Of Mandi Samiti | P-9 | 25 |
| 15. | Vakalatnama | | 26 |

Date: 18.09.2015 Place: Indore

Submitted by

Manish Vijayvargiya Counsel for petitioner